


Form No-III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् चावली देवी वनाम रामप्यारी आदि आदि किरम मुकदमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीएक्ट प्रार्थना पत्र संख्या 42/2022

तारीख हुकम जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुकम तारीख व तारीख
16.12.2024	<p>प्रार्थीया चावली देवी पत्नि श्री नन्द लाल उर्फ लालचंद पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी 2 डीएम तहसील श्रीविजयनगर हाल ठण्डी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि पक्षकारान में आपसी पंचायती राजीनामा होने के कारण प्रार्थी/वादी प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं कर अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए मौजूदा सूरत में विद्रा करना चाहती है।</p> <p>अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते है।</p> <p>निर्णय आदिनांक 16.12.2024 को सुनाया गया।</p>	




उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

